दिनांक 18.07.2023 को सम्पन्न साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक (VC) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित कार्यवाही :–

1. **PMGSY-I & II के लम्बित कार्यों को पूर्ण करने की परियोजनावार कार्य योजना:–**

सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि PMGSY-I & II के लम्बित कार्यों को पूर्ण करने की परियोजनावार कार्य योजना उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में दिनांक–18.07.2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए।

2. **PMGSY-III की योजनाओं के पुनर्निविदा की प्रक्रिया के संबंध में :–**

CWJC No. 9941/2022 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में PMGSY-III की योजनाओं के पुनर्निविदा प्रक्रिया को आवश्यक दर पुनरीक्षण सहित ससमय पूर्ण कराने हेतु सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया।

3. **BHUVAN Portal के संबंध में :–**

BHUVAN Portal पर प्रमण्डलों द्वारा किये जा रहे त्रुटियों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रमण्डलों की प्रगति असंतोषजनक है। इस कार्य में सबसे धीमी प्रगति वाले 10 कार्य प्रमण्डल मढ़ौरा (70.10%), भागलपुर (69.50%), झाझा (69.50%), मधुबनी (69.30%) कहलगाँव (67.80%), समस्तीपुर (67.00%) औरंगाबाद (65.10%), वायसी (65.10%), जयनगर (65.00%) एवं हरनौत (64.30%) हैं जिनका दर्शाया गया प्रतिशत कार्य upload किया जाना लम्बित है।

निदेश:– बैठक में सभी कार्य प्रमण्डलों को निदेषित किया गया है कि इस कार्य को हर हाल में 22 जुलाई 2023 तक पूर्ण कर लिया जाये अन्यथा प्रमण्डलों के बिरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

4. **GPS based VTS के संबंध में :–**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के अंतर्गत पथों के निर्माण के दौरान कार्यरत वाहनों machinery/equipment में GPS enabled के installation कार्य की समीक्षा की गयी जिसमें यह पाया गया कि 325 कार्यरत पथों में से मात्र 275 पथों में 613 GPS enabled VTS को install किया गया है।

निदेश:–बैठक में सभी कार्य प्रमण्डलों को निदेशित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के तहत सभी पथों में कार्यरत न्यूनतम 1 machinery/equipment में GPS enabled VTS के installation 22 जुलाई 2023 तक पूर्ण कर लिया जाये।

5. **eMARG के संबंध में :–**

PMGSY योजनान्तर्गत पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षणाधीन पथों का Bi-monthly Routine Inspection eMARG के माध्यम से किया जाना है। माह जुलाई–2023 में अब तक किये गये Bi-monthly Routine Inspection कार्य नहीं करने वाले शीर्ष 10 defaulter कार्य प्रमंडल, भभुआ (15 RI), औरंगाबाद (11 RI), टिकारी (08 RI), मोतिहारी (07 RI), पूर्णिया (06 RI), धमदाहा (06 RI), सिमरी–बख्तियारपुर (05 RI), महराजगंज (04 RI), कटिहारी (04 RI) एवं मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 (04 RI) है।

निदेश:–सभी कार्य प्रमंडलों को निदेश दिया गया है कि माह जुलाई–2023 में किये जाने वाले शेष Bi-monthly Routine Inspection को शत प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

6. **Completion of PMGSY-III works**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-III) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के पहली तिमाही में निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, वायसी, त्रिवेणीगंज, मधेपुरा, षिवहर, आरा, उदाकिशुनगंज, पूर्णिया, नीमचक–बथानी, बलिया, बेनीपुर, हथुआ, सीतामढ़ी, कटिहार, हरनौत, औरंगाबाद, मधुबनी, मढ़ौरा, पुपरी, महनार, बेलसंड, बेतिया, रक्सौल, बिहारशरीफ एवं सिवान–1 की उपलब्धि कम रही है।

निदेशः– सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

7. **Works to be foreclosed under PMGSY-I**

कार्य प्रमंडलों के द्वारा विभिन्न समीक्षा बैठकों में PMGSY-I अन्तर्गत 31 कार्यों को यथास्थिति में बंद किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी है।

NRIDA/MoRD से foreclose किये जाने हेतु मांगे गये वांछित प्रतिवेदन के आलोक में **कार्यों की पूर्ण विवरणी यथा, foreclose के लिये प्रस्तावित लम्बाई, इसका कारण, व्यय विवरणी के साथ कराये गये कार्य की परतवार विवरणी, पथ की अद्यतन स्थिति एवं पथों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये गये मामलों में भी पथों की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन सहित प्रभार प्रतिवेदन** की माँग संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं से की गयी थी, परन्तु कार्य प्रमंडल, दाउदनगर (01 पथ), कहलगाँव (01 पथ), बिरौल (01 पथ), खगड़िया (01 पथ), किशनगंज–1 (01 पुल) एवं लखीसराय (02 पथ) से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

निदेशः– सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को foreclose किये जाने वाले पथों/पुलों के प्रस्ताव पूर्ण विवरणी के साथ 02 (दो) दिनों के भीतर उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

8. **Unspent balance of PMGSY Programme fund**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडलों के पास कुल 330.42 करोड़ की अव्यवहृत राशि का प्राधिकार लम्बित है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य प्रमंडल, वायसी (32.00 करोड़) शिवहर एवं सीतामढ़ी (18.18 करोड़), भागलपुर (18.37 करोड़), मधेपुरा (14.71 करोड़), बारसोई (10.67 करोड़), अररिया (10.66 करोड़), सिमरी–बख्तियारपुर (10.61 करोड़), बेनीपट्टी (10.51 करोड़) एवं उदाकिशुनगंज (9.88 करोड़) में सबसे अधिक अव्यवहृत राशि लम्बित है।

निदेशः– सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि 01 सप्ताह के अन्दर लम्बित अव्यवहृत राशि का या तो उपयोग कर लें अथवा योजनावार इसका प्रत्यर्पण किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि जिनके पास राशि लम्बित रहेगी उनका प्राधिकार रोक दिया जायेगा।

9. **भौतिक रूप से पूर्ण कार्यों के अंतिम विपत्र का निष्पादन**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भौतिक रूप से पूर्ण 253 कार्यों को वित्तीय रूप से पूर्ण किया जाना लम्बित है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 27 अंतिम विपत्र 500 या उससे अधिक दिनों से लम्बित हैं।

निदेशः– सभी संबंधित कार्य प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि 28 जुलाई 2023 तक लम्बित अंतिम विपत्रों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

Quality Issues of PMGSY

1. NRIDA, नई दिल्ली में होने वाली Technical committee की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु Contention Report की मांग गत वर्ष 2022 माह दिसम्बर से लगातार विभागीय V.C एवं पत्र के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता से करने के बावजूद मुख्य अभियंता–1 प्रक्षेत्राधीन कार्यप्रमंडल औरंगाबाद, दाउदनगर, गया, नवादा, रजौली, शेरघाटी मुख्य अभियंता–2 प्रक्षेत्राधीन बांका–2, झाझा, कहलगांव, खगड़िया एवं मुख्य अभियंता–3 प्रक्षेत्राधीन बलिया, बेनीपटी एवं ढाका से अप्राप्त है। माह जुलाई में Technical committee की बैठक की सुचना प्राप्त हुई है। अतएव संबंधित कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह के अंदर Contention Report समर्पित करना सुनिश्चत करें अन्यथा भारत सरकार द्वारा Non-rectifiable Defects (NRD) घोषित होने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता पूर्णत जिम्मेवार होंगे।

(अनुपालन– संबंधित कार्यपालक अभियंता)

2. PMGSY अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन पथों/पुलों के NQM/SQM निरीक्षण के दौरान पायी गई त्रुटियों का निराकरण NRIDA के दिशा–निर्देश के अनुसार निरीक्षण के एक माह के अन्दर ATR समर्पित किया जाना है परन्तु लगातार विभागीय V.C एवं पत्र के माध्यम से स्मारित करने के बावजूद अभी भी 90 NQM ATR लम्बित है सूचि RWD Whatsapp पर दे दी गई है। Stuck up scheme के ATR को छोड़कर लम्बित सभी ATR संबंधित कार्यपालक अभियंता 31 अगस्त तक समर्पित करना सुनिश्चत करें अन्यथा लम्बित रखने वाले कार्यपालक अभियंता के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

3. MERI SADAK App पर प्राप्त शिकायत का Final Reply लम्बित की संख्या 48 है जिसकी सूची RWD Whatsapp पर दे दी गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह के अन्दर इसका निशपादन करना सुनिश्चत करें ।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

4. NRIDA के दिशा–निर्देश के अनुसार PMGSY अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों/पुलों के QCR Part I (Quality Control Register) को अधीक्षण अभियंता द्वारा ग्रेड प्रदान कर e-mail के माध्यम से SQC को भेजा जाना है तत्पश्चात् SQC/ CE / CEO, BRRDA द्वारा ग्रेड प्रदान कर OMMAS पर अपलोड किया जाना है। 20% QCR संबंधित मुख्य अभियंता एवं 10% QCR CEO, BRRDA द्वारा ग्रेड प्रदान किया जाना है। वर्तमान में SQC / CEO, BRRDA द्वारा लगभग 93% QCR OMMAS पर अपलोड किया जा चुका है। अतएव बचे हुए QCR का अधीक्षण अभियंता द्वारा ग्रेडिंग करने के पश्चात संबंधित मुख्य अभियंता को भेजना सुनिचत करें। सन्दर्भित पत्र पूर्व में भी निर्गत किया जा चुका है।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

FDR

ग्रामीण कार्य विभाग के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्य प्रमंडलों को पुनर्स्थापन कार्य (FDR) हेतु जारी Google Spread Sheet में की गई प्रविष्टियों में त्रुटियों का निराकरण करने हेतु निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता प्रतिवेदन आकड़ों का अवलोकन करेंगे एवं आवश्यक सुधार के उपरांत ही प्रविष्टि करायेंगे।

संपन्न बैठक में मुख्य अभियंता--4 के द्वारा विभागीय पत्रांक–3724, दिनांक 18.07.2023 के द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में स्थाई/अस्थाई पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में जारी दिशा–निर्देश पर बिन्दुवार चर्चा की गई।

Temporary Restoratrion के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिन पथों से बाढ़ का पानी उतर रहा है, उन पथों में कटाव स्थल पर कार्य नियमानुसार कराया जा रहा है।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

MMGSY

सभी Pending final bill को पूरा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

नाबार्ड (राज्य योजना)

राज्य योजनान्तर्गत 390 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इसके आलोक में कार्य प्रमंडल, आरा, औरंगाबाद, बगहा–1, बाढ, बेनीपुर, विक्रमगंज, विरौल, डीहरी, डुमरॉव, झंझारपुर, मधेपुरा, मसौढ़ी, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1, मुजफ्फरपुर पूर्वी–2, मुजफ्फरपुर पश्चिम, नरकटियागंज, पटोरी, पुपरी, रोसड़ा, शिवहर, सिमरी बख्तियारपुर, सीतामढ़ी, त्रिवेणीगंज, उदाकिशुनगंज एवं विरपुर द्वारा प्राक्कलन प्राप्त हो गयी है। शेष कार्य प्रमंडलों को एक सप्ताह के अंदर प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

MR 3054 नई अनुरक्षण नीति, 2018

(1) विभिन्न योजनाओं द्वारा निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए पथों के Google Spreadsheet को अद्यतन करें, विशेष रूप से वैसे पथ जिसमें Strentheing, Widening, Surface Renewal एवं general maintanance की आवश्यकता है।

(2) विभागीय MIS पर पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए पथों के प्रविष्टि का Module तैयार किया गया।

(3) सभी बकाया भुगतान को अविलंब पूर्ण कर लिया जाय।

(4) लंबित Bid's & Agreement की समीक्षा की गयी।

(5) भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 3854 /दिनांक- 24/07/2023

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य अंचल/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 3854 /दिनांक 24/07/2023

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 3854 /दिनांक 24/07/2023

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेव साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/7/23

अभियंता प्रमुख